MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th September, 1981

G.S.R. 912.—In the notification of the Governor of India in the Ministry of Health and Family Welfare, No. G. S. R. 290 (E), dated the 13th April, 1981 Published at pages 655-657 of the Gazette of India Extraordinary, Part II Section 3 Sub-section (i), dated the 13th April, 1981:—

- (A) On page 656-
 - (i) in rule 3 (b), for "following sub-rule be", read "following sub-rule shall be";
 - (ii) in rule 4 (b), for "A. 15.07", read "A.15.01";
- (B) On page 657, in rule 4 (d), for "The Bhatti Katha be", read "The Bhatti Katha shall be".

[No. P. 15014/9/77-PH (F&N) PFA] G. PANCHAPAKESAN, Under Secy.

नई विल्ली, 22 सितम्बर, 1981

साक्ताविक 913.—केन्द्रीय सरकार स्थास्थ्य योजना (मदास), नियमावली 1973 के नियम 1 के उपनियम 3 के प्रनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतव्द्वारा उक्त नियमों को निम्नलिखित क्षेत्रों में भी लागू करती है, प्रवित् :—

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना घोषधालय, रोयापुरम

उत्तर में मनाली रोड वाले संगम से गुरू होने वाली शहरी सीमा से इसके साथ-साथ उत्तर पूर्व की भीर समुद्रतट वाले इसके संगम तक जलें; समुद्रतट के साथ-साथ विकाण की भीर इवाहीम जी साहब स्ट्रीट वाले इसके संगम सक चलें, इवाहीमजी साहिब स्ट्रीट घोल्ड जेल रोड-वासिन विज रोड के साथ-साथ पिश्नम की भीर बॉकिंग्यम नहर वाले इसके संगम सक चले; नहर के सोथ-साथ उत्तर की भीर मनाली रोड वाले इसके संगम सक चलें, सड़क के साथ-साथ उत्तर स्थान तक पहुंचे जहां से चले थे।

> [संक्या एस० 11026/1/81-के०स०स्वा०यो०डेस्क-1] के० एस० भाटिया, धवर समिव

New Delhi, the 22nd September, 1981

G.S.R. 913.—In pursuance of sub-rule (3) rule of the Central Government Health Scheme (Madras) Rules, 1973, the Central Government hereby extends the said rules to the following areas, namely:—

CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME DISPENSARY, ROYAPURAM

On the north, city limit commencing from its junction with Manall Road, proceed Northeast along the city boundary upto the junction with the sea-coast proceed south along the sea-coast upto its junction with Ebrahimji Sahib Street; proceed west along Ebrahimji Sahib Street-Old Jail Road—Basin Bridge Road upto its junction with Buckingham Canal proceed north along the canal upto its junction with Manall Road, proceed along the Road to reach the starting point.

[No. S-11026/1/81-CGHS Desk I] K. L. BHATIA, Under Secy.

श्रविल भारतीय सायुविकान संस्थान

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1981

सा० का० नि० 914.— शिक्षल भारतीय प्रायुविकान संस्थान प्रधि-नियम, 1956 (1956 के 25) के परिकटेंद 29 के उप-परिक्टेंद (1) के द्वारा प्रवाम किये गए क्षिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय नरकार के पूर्व अनुमोबन के साब, अविक्ष भारतीय आयुर्विकान संस्थान, नई दिल्ली, एसद्द्वारा अविक्ष भारतीय आयुर्विकान संस्थान, 1958 का संशोधन करने के किए आगे निस्नलिखित विनियम यनाता है, अर्थात् :--

- (1) इन विभियमों को पिखल भारतीय भायुक्तिन संस्थान (संघोधन) प्रधिनियम, 1981 कहा जाय ।
 - (2) के 1-8-1981 से कार्यान्त्रित होंगे।
- भिक्षिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भिधिनियम, 1958 में (जिसे इसके बाद कपित प्रिधिनियम कहा गया है) गिधिनियम 2 में :---
 - (1) आपन्न (द) के बाद निम्नलिखित खण्ड प्रविष्ट किये जायेगे, प्रपति ...-
 - "(वड) "मूल नियम" का भर्ष केन्द्रीय सरकार के कर्मनारियों पर लागू होने वाले मूल नियम हैं;
 - (दवद) "सामान्य विक्त नियम" का भर्य वित्तीय व्यवस्था भौर नियंत्रण के लिए केन्द्रीय सरकार के द्वारा निर्मित सामान्य विक्त नियम, 1963 है;
 - (2) खण्ड (1) के बाद, निम्नलिखत खण्ड प्रविष्ट किये जायेगे, सर्वात:--
 - "(ज)" "पूरक नियम" का ग्रर्थ सरकारी कर्मवारियों पर नागू पूरक नियम हैं जो मूल नियम के भ्रधीन हैं;
 - (क) "राजकोष नियम" का धर्य केन्द्रीय सरकार के राजकोष नियम हैं।
- 3. कथित विनियम के विनियम 4 में --
- उप -विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपिविनियम रखे जार्येने, प्रयात् :---
- "(3) सिषव संस्थान की साधारण बैठक के लिए बैठक की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पूर्व मदस्यों को स्वाद, ति वे और समय बतलाते हुए एक प्रश्चिमुबना देंगे और उत्तक द्वारा मैजने पर बाक प्रमाण-पत्र के धन्तगैत भेजें। बैठक की प्रश्चिमुबना के माम कार्यसूची भी मेजी जायेगी भीर जहां यह संभव नहीं है, बैठक में कम से कम दस बित पूर्व कार्यसूची भेजी जाएंगी, जो बाक द्वारा मेजने पर बाक प्रमाण-पत्र के धंतगैत भेजी जाएंगी।
- (2) उप विनियम (θ) के स्थान पर तिम्तितिक्षत उप-तिनियम प्रतिस्थापित किया जामेगा , धर्यात:——
- "(७) बैठक के पहले या इसी प्रविध में किसो भी समय प्रश्या
- (1) कार्यसूची के नये प्रस्ताव (2) कार्यपूची में पहले से सम्मिलत प्रस्तावों में पूरक प्रस्ताव सम्मिलत कर सकते हैं; घीर इन प्रस्तावों को भी विचारार्थ लिया जाएगा।"
- कषित विनियमों के विनियम 5 के लिए निस्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, ग्रमित्:—

"शासी समा का गठन"

 शासी सभा निम्नलिखित ग्यारह (11) नप्तस्थों के निर्मित होगी, अर्थात्:---

(भ) संस्थान का भ्रम्थकं समापति (व) स्थारूप सेवाओं के महानिवेशक पदेत पहल्य

(स) विस्त गंजालय का प्रतिनिधि सदस्य

- (व) निवेशक, प्रविल भारतीय प्रायुविशान संस्थान-सवस्य
- (य) संस्थान के लिए चुने हुए संभव के तीन सदयों में से संस्थान के सदस्यों के द्वारा चुना हुन्न। एक सदस्य।
- (र) संस्थान के मवस्यों में से ही चुने जाने वाले छः सवस्य :"
- 5. कथित विनियमों के विनियम 7 में से "भीर अनुपूर्णा 1 में मध्यक के प्रधिकार भीर फर्तटर के रूप में", श्राद्ध भीर प्रंक लुक्त कर विये जायेंगे।
 - 6. कथित विनियमों के विनियम 8 में,
 - (1) उप-विनियम (1) के स्थान पर, निम्त्रलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, भर्यातः---
 - "(1) प्रभने कार्य, के संचालन के लिए सभापति जितनी बार भाषप्रयक समझें उतनी बार गाधी समा की बैठक हो सकेंगी, किन्तु साधारणतया यह बैठक समापति के द्वारा निश्चित स्थान, दिनांक और समय पर तीन महीने में एक बार होगी।
 - (2) उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिश्चित उप-विनियम प्रतिस्थापित होगा, भर्यात:---
 - "(3) शासी सभा के कम से कम छः सदस्यों के द्वारा या सभापति के द्वारा लिखित मांग पर शासी सभा की असाधारण वैठक बुलाई जायेगी",
 - (3) उप-विनियम (6) में "चार सदस्य" शक्दों के स्थान पर "पांच सदस्य" प्रतिस्थापित कि । जायेगा ।
 - कथित विनियमों के विनियम 10 में, जब-विनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित जम-विनियम प्रतिस्थानित किया जायेगा, मर्थात:--
 - "(3) उप-धिनियम (2) में उस्लिखित के प्रतिरिक्त शासी सभा भौर स्थामी तथा तदर्य समितियों के सदस्यों भौर सभा-पित के विषय में, याच्रा भना भौर दैनिक भने का भुगतान उन्हीं दरों पर किया जायेगा, जिनके लिए वे उस संगठन के नियमों के प्राधार पर जिसमें वे कार्य कर रहे हैं, या पूर्वति 190 के भन्तगंत केन्द्रिय सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्धारित भौर उसके अन्तगंत कार्यकारी निर्णयों तथा भादेशों के नियमों के प्रमुगार, जो भी प्रधिक हो, के भ्रधिकृत होंगे"
- 8. कथित विनियमों के वियम 12 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, प्रमात:----
 - "(1) 'स्थान, नियम 6 में सर्वाभत स्थायी जिल समिति के प्रति-रिक्त एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष प्रौर सात अन्य सदस्यों से अनिश्वक से निर्मिन प्रधिनियम की धारा 10 की उप-धारा(5) के धनुसार प्रस्थ स्थायी समितियां गठित कर सकता है। मिदेशक प्रस्थेक समिति के सदस्य पौर पर्वेन सिंवव रहेंगे।

प्रत्येक समिति के समापति भौर उप-तमानि तया भन्य सबस्य संस्थान के द्वारा नामित होंगे।

- कथित जिनियमों के नियम 24 के उप-विनियम (1) में, भीर "चिकित्सा भधीक्षीक" ग्रन्थ लुप्त कर विथे जार्येंगे।
- 10. कथित विनिश्रमों के निनियम 27 में, "नरोधित प्रवक्ताम नियम, 1933" गब्दों भीर प्रंकों के स्थान पर दोनों स्थानों जहां पर वृत्त भागे हैं, "केन्द्रीय भरीनिक सेना (भवकाण) नियम, 1972" गब्द भीर भेक प्रतिस्थापन किये जायेंगे .
- (2) प्रथम उपबन्ध में, "प्रथमन, 1 नयाँ को प्रशिक्ष के | सिचे" शस्य तथा प्रका लुप्त कर विये आयगे।
- 11. कथित विनियमों के विनियम 28 के स्वान पर निम्निलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जःथेगा, धर्यानः—-
 - "(28) पेंशन भीर भंशदायीं भविष्य-निधि .
 - (1) संस्थान में इतर क्षेत्र। पर प्रतिनियुक्ति के मितिरक्त, संस्थान के कर्मवारी जिनकी नियुक्ति 12-9-75 को या इसके बाद हुई है और ऐसे कर्मवारी जिनकी नियुक्ति इस तिथि के पूर्व हुई है, किन्तु केन्द्रीय सरकारी कर्मवारियों पर लागू होने वाले सामान्य भविष्य-निधि और पेंगन सम्बन्धी लागों को विशोध रूप से चुना है, वे सामान्य भविष्य निधि, (केन्द्रीय-सेवाएँ) नियम, 1960 भौर केन्द्रीय महिनक सेवाएँ (पेंशन) नियम, 1972 के प्रावधानों के द्वारा ग्रासित होंगे।
 - (2) । स्थान में इसर सेवा पर प्रतिनियुक्ति के प्रतिरिक्त संस्थान के कर्मनारी घीर जिनको 12 सितम्बर, 1975 से पूर्व नियुक्त किया गया था तथा जिन्होंने विशेष रूप से सामान्य पविष्य-निधि घीर पेंशन लाभों को नहीं चुना था, समय-समय पर संगोधित मंस्थान के प्रंगत्रयों पविष्य-निधि नियमों के बारा शासित होंगें"।
- 12. कथित विनियमों के निनियम 30 के बाव, निम्तिबित विनियम प्रतिस्वापित होगा, धर्यात---

"3 0म. निवेशक के कार्यनाल की शतें:

इन यिनियमों में मन्तिबिध्ट किसी बात के नहीं। रिनो, प्रार्ट संस्थान की यह धारणा है कि, ऐसा करना मार्वेजिति हिन में है नो उसे निश्चित में तीन माह से अन्यून के नोटिस या इसके स्थान पर तीर नाह के बेनन भीर भते देकर कार्यकान की सनाप्त करने का प्रधिकार है। सिश्चित में तीन माहों से न्यून के नोटिस को मंस्थान को देकर निश्चित को संस्थान को देकर निश्चित कार्यकान की सनाप्त से तून के नोटिस को मंस्थान को देकर निश्चित कार्यकान की सनाप्त से पूर्व कियो भी मनम पर के त्याय करने का स्थिकार निवेणक को भी होगा। "

13. प्रमुख 1 पौर धनुसूची 2 के लिए निम्नलिखा धनुसूचियां प्रतिस्वापित होंगी, प्रचितः---

धनुसूर्य:-1

बेखिये विनियम 3, 6 तथा 11

| फ० सं | • प्रधिकारों का स्थरूप | निदेशक | पध्यक्ष | शासी समा | संस्थान सभा | |
|-------|--|--------------|---------|----------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 19 | बीकृत भाय-व्ययक से निधि के निविभयोग के भक्षिकार | पूर्ण ममिकार | | | | पूर्नीबनियोग पर किसी भी प्रतिबेदन की उत्तरंगती बैठक में बासी सभा के समक्ष भनुमोदन के लिये रखा जायेगा |

| 1 2 | 3 | 4 | | в | 7 |
|--|---|---------------------------------|-----------------------|--------------|---|
| (ग्र) सार्वजनिक वन के गैरवसूली यें | ग्य मूल्य | | | ur gray | |
| की जालसाजी | | | | | |
| कारण होने वार अट्टेखाते में डालन | | य में प्रत्येक वियव | | पूर्ण मधिकार | |
| (व) राजस्व मा गैर | वसली योग्य 2000 ६० | প্ৰদ 10,000 ব ০ | বৰ্ক 20,000 বৃহ বৰ্ক | | |
| पैशागी की काति। | | | | | |
| (स) भण्डार के मूल्य बीर मूल्य हास | | | | | |
| | | | | N. 1986 | |
| (1) भाकरिमक व्यय (2) या भण्डार भौरर | े स्वीकृत भाय~ तेखन सामग्री (व्ययक के भीर | | | 1000 | |
| की खरीव तथा | | | | | |
| मुक्रण पर स्थय | | | | entra Zoro | |
| > | र छोटे-मोटे प्रत्येक विषय में | प्रत्येक विषय में | पूर्ण प्रधिकार | | |
| 4. भवम के रकरवाक भी | 20,000 \$0 | 50,000 रुपये | Ta manic | | |
| निर्माण | | | | | |
| (अ) मूल निर्माण | भौर विशेष धिकतम एक स | | The second | | |
| मरम्मत | प्रति वर्ष के घंधीन | । रुपये प्रति वर्षे के भधीन। | | | |
| | | भवान । | | | |
| (ब) साधारण मरम्म | त सबु मरम्मतों (वर्षि | 有 — | | | |
| ` ' | मरम्मत मही) | | | | |
| | लिये पूर्ण प्रधिय | ńτ | | | |
| (स) वार्षिक मरम्मत | पूर्ण ग्रधिकार | _ | | | _ |
| बसूली-योग्य पेशगियां | जीकृतकरने भ्रपने सिवाय स | भी निदेशक के विवर में | | | |
| 5. बसूलाऱ्यान्य पंशानयाः कः प्रधिकार | भाषात्रवासरा भाषा ।समाय स भाषाकारियों इ | | | | |
| THE MIGHT | भर्मचारियों के वि | | | | |
| | में पूर्ण पश्चिकार | | | | |
| | _ AC | सभी निवेशक के विषय में | | | |
| धंशदायी सामान्य भवि पेशियां धन्सिम निव | | | | | |
| करने का मधिकार। | त्राता स्वाकृत भावनारियों के वि कम वा रियों के वि | | | | |
| कर्ग का भावकार। | में पूर्ण मधिक | | | | |
| | | | | | |
| 7 लेखें से सम्बन्धित क | र्यालय भ्रमि- सौ० मू० नि० की | ft- · | | | |
| सेकों को नष्ट करना। | शिष्ट 13 में निध | rf- | | | |
| | रित शती के भ | ब्री न | | | |
| | पर्णं भ्रधिकार। | | | | |
| | × > >= ================================ | | and the same state of | | |
| सस्थान क कमचारि भौर भतों को मह | ों के वेतन पूर्णभिक्षकार को के शक्तिय | | a heritage | | |
| कार्य-दिवस में भूगत | | | | | |
| काय-ादवस म मुन्त लिये निवेशित करने | | | | | |
| जबकि धनुवर्ती मा | | | | | |
| चार दिन सार्वजनिक | | | | | |
| हों। | | | | | |
| A 1997 2 100 | किस तेस्य एकं स्रक्तिकार | - | | | _ |
| % स्थापना के भावत भीर पूर्ण भक्तिक | ारित वेतन पूर्णअधिकार र भर्ती की | | | | |
| सीर पूज भावक तीन माह से घ | | | | | |
| भी इंभविध के वि | | | | | |
| धादेश देने का प्रक्रि | | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--|---|---|-------|-----------------|
| अस्थायी रिमितयों में. अधिवर्षता प्राप्त व्यक्तियों की पुनिवृक्ति की स्वीकृति | | 60 वर्ष की भागु सक वर्ग "ख" के मधि- | | # - T | |
| वेना । | चारियों के विषय में पूर्व प्रधिकार, एक | कारियों के विषय में वृषे प्रधिकार, एक | | | |
| | बार में एक वर्ष। | बार में एक वर्ष | | | |
| संस्थान के कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक रखना। | 'ग'वर्ग के घाधिकारियों के विषय में पूर्ण | 'ख' वर्ग के प्रधिकारियों के विषय में पूर्ण | | | ser ser i j |
| | मधकार । | मधिकार । | 1 | | |
| 12. सबसे छोटे या सबसे सस्ते के मिल- रिक्त किसी भी माग से मील-मत्ते को प्रनुमित देना। | पूर्ण प्रधिकार यदि मार्ग काचयन संस्थान के हित में है। | | | - | |
| 13. 'ब' वर्ग के कमंबारियों को धगले उच्चतर सेणी के रेल भिराय को प्राप्त करने की धनुमति देना जब- कि वह ऐसी रेलगाड़ी में धाध- कारी के साथ है जिसमें दिवीय | पूर्णं सधिकार | | - | 1 | - |
| भेणी नहीं हैं। | | | | | |
| 14. यह निर्णय करना कि क्या कोई मनुपस्थिति विशेष देश के मन्दर कार्य पर मनुपस्थिति है। | लिए पूर्ण भविकार भौर भ्रम्य विवयों | वैक्षिक के भ्रतिरिक्त सभी विषयों में एगक माह से परे | | | 700 |
| | में एक माह् के लिए। | के लिये पूर्ण प्रक्षि- कार। | | | |
| 15. किसी सार्वजनिक या कियाये के परिवहन में याझा करते हुए कर्ग "म" कोर कर्ग "घ" के कर्मचारियों के द्वारा वैनिक भन्ने से मील | पूर्ण प्रधिकार | | | | |
| भत्ते के विनियम परपावन्तिया लगाना। | | | | | |
| 16. स्वयं प्रपत्ने घौर घत्य कर्मचारी- वृन्द के यात्रा मतों के विलों पर प्रतिहस्ताक्षर करना। | पूर्ण मधिकार | - | | - | |
| पूरक नियम 209 के प्रावधान (नों) को छोड़ना भीर मनकाश | पूर्ण अधिकार | - | - 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | | - |
| के साथ छुट्टियों के संयुक्तन के विषय में पूरक नियम 2!1 से विवलन को प्राधिकृत करना। | | | | | |
| 18. (1) भाकस्मिक भवकाण की स्वी- इति। | पूर्ण भ्रधिकार | निदेशक का बाकस्मिक सदकाण | | | |
| (2) ध्रवकाश की स्वीकृति । | वर्गं "बा", "क", "घ" के लिए पूर्ण मधिकार भौर वर्गं "क" के लिए 4 सप्ताह से मधिक नहीं। | | | - | |
| (3) विशिष्ट धनका प्रवकाश | | पूर्ण प्रधिकार | _ | | |

| - | | | CTOBER 10, 1981 | | OF OFFICE AND | [PART II—SEC. 3(1) |
|------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19. | यह निदेशित करना कि जो प्रधि कारी अवकाश पर है वह आवास | अवधि या स्वीकृत | | वूर्णं प्रधिकार | - | |
| | को सब्ने में रखता हुआ समझा | अवकाश की अवधि | | | | |
| | जायेगा । | के लिए पर्ण मधिकाः | | | | |
| 20. | भावास का भावंटन | पूर्ण पधिकार | | A PROLET DEPOSITS | | _ |
| 21. | पदों पर नियुक्तिया करने का मधिकार (नियम 7 के मधिन)। | पूर्ण र्थाधकार | - | | - | - |
| | (1) सदर्यं प्रस्थायी | वर्गं 'खं' 'गं सीर | संकाय पदों के मति- | | | |
| | | 'म' वर्गों के लिए | रिमत 'क' वर्ग के | 25. | | |
| | | पूर्णं भधिकार। | सभी पवों के लिए | | | |
| | | प्राध्यापकों भौर | पूर्ण पश्चिकार । | | | |
| | | सहायक प्राचायों के | माचार्यो ग्रीर सह- | | | |
| | | लिए एक वर्ष की | भाषायाँ के लिये | | | |
| | | मविध से भविष | एक वर्ष से भनिधक | | | |
| | | महीं। | भवधि तक तथा प्राध्या- | | and the same of | |
| | | | पकों एवं सहायक | | 40.00 | |
| | | | भाषायों के लिए | | | |
| | | | एक वर्ष से मधिक | | | |
| | | | भवधि तकः। | | | |
| | (2) स्थायी | वर्गं 'गंभीर 'घ'के के पद । | वर्गे'खं' के पदः व | र्गं कं के पदः। | | 6.0 (60 <u>—</u> 96.0 (60 _—) |
| 2. 9 | रिवीका की भवधि के सफलता- | निवेशक के विषय के | | | | |
| | पूर्वक पूर्ण होने के बाद वर्ग कं | मतिरिक्त पूर्ण मिक्कार । | | | n Austra | • • |
| | स्थायी करने का अधिकार । | | | | | |
| | रंस्थान के वर्ग 'ख' के कर्मचारियों | पूर्ण प्रधिकार | | | | |
| č | के स्यागपक्ष स्वीकार करने का अधि- कार । | | | | | |
| 4. व | र्गं 'क' के कमैचारीवृन्द के त्थाग- | | नवेशक, धाचायाँ धौर | | | निवेशक के विषय में |
| q | त स्वीकार करने का प्रधिकार | भाचार्यों के विषय | सह-आचार्यों के | | | संस्थान समा द्वारा |
| | | के मतिरिक्त सभी | विषय में पूर्ण | | | संपुष्टि के प्रधीन। |
| | | वर्गे "क" के मधि- | मधिकार । | | | |
| | | कारियों के सबन्ध | | | | |
| | | में पूर्ण प्रविकार। | | | | |
| | स्थान के अधिकारी बैठकों, सम्मे- | प्रकार विशेष के देय | 30 विनों क सवधि | | | समय-समय पर केन्द्रोय |
| | तों, सैमीनारों, कर्मशालाघों, | भौर स्वीकार्य ग्रव- | के परे कर्मचारीव न्य | | | सरकार द्वारा जारी |
| | ोष्ठियों इत्यावि में भाग लेने या | काश के प्राधार पर | के विषय में पूर्ण अधिकार | | | निदेशों के मधीन। |
| भरपकालिक नियत कार्यों के लिए | 30 दिनों की | भौर मिवेशक | | | THE PROPERTY | |
| | विवेश का रहे हों सब उन्हें, | भवधि तक संबंधित | के बारे में पर्ण | | | |
| म | नुमति देने का प्रधिकार। | संकाय सबस्यों द्वारा | मधिकार। | | | |
| | | भीर बैठक इत्यादि | | | | |
| | | के घायोजकों से | | | | |
| | | उचित निमन्त्रण | | | | |
| | | प्राप्त करने पर | | | | |
| | | निवेशक के विषय के | | | | |
| | | भतिरिक्त पूर्ण | | | | |
| | | मश्चिकार। | | | | |

| 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | в | 7 |
|-----|--|---|--|---|--------------|---|
| | संकाय मदस्यों के द्वारा विदेश में श्रन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलनों, संगोरिष्ठयों, मेनीनारों इत्यादि में भाग लेने के लिये श्रनुपस्थिति को काम पर मानने का श्रविकार । | योज्ञा सहित भधिकतम 15 विनो तक के लिए पूर्ण श्रधिकार। | 15 दिनों की भवधि केपरे पूर्णभधिकार | | | समय-सभय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों के क्षष्टीन । |
| 27. | कर्मचारियों के घन्यत्र नियुक्त होने पर संस्थान में पुनर्प्रहणाधिकार रखने की धनुमति का प्रधिकार। | वर्गं "ग" भीर "घ" में पदों के लिए मधिकतम 2 वर्षों नक—एक बार में एक बर्षं पूर्णं भीध-कार। | वर्ग"स्व" के पदों के लिए पूर्णभ्रधिकार। | वर्ग कि' के पदों के लिए पूर्ण प्रशिका ^र । | _ | |
| 28 | . सामान्य नियम के धन्तर्गत संस्थान के कर्मचारियों के बेतन के नियत करने का ग्रिधकार । | पूर्णं मधिकार | — _{— —} | 2016 To 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | | |
| 29. | संस्थान के प्रधिकारियों को संस्थान के कार्य के सम्बन्ध में विदेश जाने के लिए अनुमति देने और अनुपस्थिति को काम पर मानने का प्रधिकार। | 30 विनों तक पूर्ण प्रिष्ठकार बजतें संस्थान के कार्य के संबंध में व्यतीत प्रवधि को काम पर मानने के प्रति- रिक्त कोई विक्तीय भार नहीं हो। | 30 विमों की घवधि के परे पूर्ण शिक्षकार। | | | सम्य-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा आरी भिवेषों के अधीन। |
| 30. | 3 वर्षों से मनधिक मनधि के लिये मनुसंधान मनुदान स्वीकार करने का मधिकार। | भारत सरकार की सामान्य नीति के भूधीन पूर्णभूधिकार। | - | | | a navente e e e e e e e e e e e e e e e e e e |
| 31. | केन्द्रीय राज्य सरकार के प्रति- नियुक्तों के विषय में जहां पर सामान्य स्वरूपों की गर्ते हों, इसर सेवा की गर्तों को स्वीकार करने का प्रधिकार। | पूर्णं मधिकार | | | | <u></u> |
| 32 | . वरिष्ठ रेजीबेंटों,ट्यूटरों के कार्यकाल की वृद्धि की स्वीकृति का मधिकार। | पूर्ण भक्षिका र | | | | |
| 33 | . चयन समिति की सिफान्झिंपर अग्निम वतन वृद्धि स्वीकार करने का मधिकार। | | र्तान अग्रिम बेतन वृद्धिः के परे पूर्ण अधिकार | वों : । | | |
| 34 | . मु० ति० 27 के अन्तर्गत संस्थान में नियमित पदों में नियुक्ति पर मनुसंधान परिवोजनाओं के कर्म- भारियों को मिमन वेतनवृद्धि मंजूर करने का मिमनर। | वोष के माधार पर | | | | |
| 35 | जहां पर प्राप्त होने वाला निर्वाह भत्ता, वैनिक भत्ते के कप में है भ्रोर कोई मानदेय निहित नहीं है पूरक नियम 12 के प्रावधान को शिथिल करने का समिकार। | पूर्णे झधिकार | See 1 | | - | समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निवेशों के श्रधीन |

धनूसूची

(जैमा समय-ममय पर भारत सरकार के मूल नियमों के मन्तर्गत जैसा संणोधिश है)

| - | | भधिकार की सीमा | | | | |
|-----|---|---|--|---|---------|--|
| • Ħ | o स्रधिकारकाम्बस्य | निवेशक | प्रध्यक्ष | णासी सभा | अभ्यृति | |
| ì | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 36. | संस्थान के किसी कर्में वारी को सचित्रीय कर्में वारी होने के लिए धोवित करना। | पूर्ण धिकार | | 108 (34) (1000) (6 | - | |
| 37 | पुनग्रेहणाधिकार को निलम्बिन करना। | पूर्णभक्तिकार बगर्तिक जिन पदों पर पुनर्यक्षणाधिकार रखागया है उन पर नियुक्ति करने का उसे भ्रधि- कार है। | पूर्णं अधिकार सभी भ्रन्य पदों के लिये। | | _ | |
| 38. | संस्थान के किसी भर्मचारी पुनर्पणाधिकार को एक पद से दूर पद पर स्थानान्तरित करना। | के पूर्णभक्षिकार वर्शों कि संबंधित दोने ग्रेपित पदों पर नियुक्ति करने काउसै भधि- कार है। | ों पूर्ण अधिकार सभी धन्य पदों के लिए। | noga Major Pauli Majarahan Salah | | |
| 39 | संस्थान के किसी कर्मजारी क एक पद.से दूसरे पद पर स्थ नाम्तरित करना। | | पूर्ण प्रक्षिकार वर्ग ''आ'' के कर्म- चारियों के विषय में । | पूर्ण भधिकार वर्ग 'क' के कर्मचारियों के विषय में। | _ | |
| 40. | काम पर माने हुए संस्थान के कर्म- चारियों के वेतन भौर भत्ते को निय करना । | | पूर्ण प्रधिकार वर्ग "क" के कर्म- चारियों के विषय में। | | _ | |
| 41. | वेतन-वृद्धि के लिये भसाधारण अव काश को गिनना। | - पूर्णभक्षिकार वर्गे "का", "ग" भौर "व" के कर्मचारियों के विषय में। | पूर्ण घधिकार वर्ग ''क'' के कर्म- जारियों के विषय में। | - | | |
| 42. | स्थानापश्च सरकारी कर्मचारी व वतन को घटाने का ग्रह्मिकार। | ते पूर्ण अधिकार, वर्ग "ख", "म" भीर "ध" के कर्मनारियों के विषय में। | पूर्ण मधिकार वर्ग "क" के कर्म- नारियों के विषय में। | end strains which | - | |
| 43. | मानवेय के भनुवान को स्वीक्टत करना भीर स्वीकार करने की धनु मित देना। | | | | | |
| 14. | किसी कर्मवारी को एक से अधिक पदों को अस्थायी रूप से अहण करने स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त करने भौर गौण पदों के देतन तथा लिये जाने वाले क्षतिपूरक भक्ते की राशि को नियत करने का अधि- कार। | श्रेणियो पर लाग् नियमों के भन्नीन । | - Application of the second of | | _ | |
| 15. | भंगकालिक कर्मैचारियों को भूग- ताम किये गये गुरूक (याक्षा भर्स के प्रयोजन के लिये) की कोटि को जोवित करमा। | पूर्ण सम्बन्धार | | | - | |
| 6. | वो या अधिक मार्गों में से सबसे छोटे या सबसे सस्ते का निर्णय करना | | - | 1 - 1 | - | |
| 47. | सबसे छोटे या सबसे सस्ते के मतिरिक्त किसी मार्ग के मील म्से की प्रमुमति देगा। | पूर्ण अधिकार बशर्ते कि मार्ग का वयन संस्थान के हित में है। | - | To be the second | | |

| 1 | <u> </u> | 3 | 4 . | 5 | 6 |
|-----|---|---|--|-----------------|---|
| 48. | किसी स्टेशन में यात्रा के झारम्भ या झन्त के बिन्दु का निर्णय करना। | पूर्ण मधिकार | | 17 <u>2</u> 311 | |
| 49. | यह घोषित करना कि संस्थान का कोई कर्मचारी जिसका बेतन 300 द० प्रतिमाह से घधिक नही है, स्टीमर में निम्नतम श्रेणी के स्थान का घधिकारी है। | पूर्ण मधिकार | | | |
| 50 | सम्बेह या कठिनाई की स्थिति मे, संस्थान के कर्मचारी केस्टी- मर में स्थान की श्रेणी के ग्रधिकार को ग्रोपिन करना। | पूर्णमधिकार | | 1 - 12 - 147 A | |
| 51. | भवकाश से बापस होने से पूर्व स्वस्थता के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र को मांगने का भविकार। | पूर्णं प्रधिकार | पूर्ण प्रधिकार निदेशक की स्थिति में। | en editor | _ |
| 52. | भधिक हक जाने को नियमित करने के लिये भवकाण में बृद्धि। | पूर्ण भ्रधिकार संशर्ते कि भ्रवकाश पर रहने वाला भ्रधिकारी वापस भ्राने पर संस्थान के प्रशासनिक नि-यन्द्रण में होगा। | पूर्ण भक्तिकार, सभी भ्रन्य विषयो में। | ering one | |
| 53 | भारत में इतर सेवा में स्थानाम्त- रण और इतर सेवा में बेतन नियत करने की स्वीकृति। | पूर्ण अधिकार, वर्ग "ख" "ग" और "ब" के कर्मचारियों के विषय में। मूल और पूरक नियम, भाग वां, के डाक एवं तार संकलन के परिभिष्ट 4 में कम सं० 30 के सामने स्तम्भ 5 में उल्लि- | पूर्ण मधिकार, वर्ग "क" के कर्म- भारियों के विषय मे । | | |
| | इतर सेवा से प्रत्यावर्तन से पूर्व प्रवकाश लेने वाले सरकारी कर्म- वारी के प्रत्यावर्तन की तिथि का निर्णय करना। | पूर्ण भ्रधिकार | | | |
| मय- | समय पर यथा संशोधित भारत सर | कार के पूरक नियमों के मन्तर्गत . | | | |
| 55. | उस कार्य को जिसके लिये शुल्क प्रस्तुत किया गया है लेने और शुल्क के स्वीकार करने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रधिकार। | पूर्ण भ धिकार | | | |
| 56. | नियमों के शिथिलन में प्रधिकारियों के द्वारा वायुयान से यात्रा । | पूर्ण अधिकार । तुरन्त भौर अवाश्यकता की स्थिति में । | alan kalandara e | | |
| 57. | यह चोचित करना कि संस्थान के कर्मचारी के बेसन में सड़क के द्वारा सभी यात्रामों के लिये अति- पृति सम्मिलित है। | पूर्ण भ्रधिकार, वर्ग ''ख'', ''ग' भौर ''य'' के कर्मचारियों के विषय में। | पूर्ण झधिकार, वर्ष "क" के कर्म- चारियों के विषय में । | | |
| 58 | . यात्रा में पड़ाब को दस दिनो तक सीमित करने के नियमों से छूट मंजू करने का मधिकार। | पूर्ण घधिकार । 30 दिनों की सीमा तक। | पूर्ण प्रधिकार, 30 दिनों की मचिध कें: परे। | | |
| 59 | . किराये या प्रभार की राशि की नियंत करने का अधिकार जहां संस्थाद के किसी कर्मचारी की संस्थान प्रादि के व्यय पर संघलन का साधन तो प्रवान किया जाता ही किन्तु यह इसके उपयोग या प्रणोदन की सभी कीमत देता है। | पूर्ण भविकार | | | |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|--|----------------------|
| 60. जांच भायोग इत्यादि में सम्म- स्नित होने वाले गैर-सरकारी | पूर्ण ग्रीधकार | | - | _ |
| व्यक्तियों को यात्रा भता स्वीकृत करना धौर उनकी कोटि नियत | | | | |
| करना। | | | | |
| 61 यह घोषित करना कि कौन नियन्त्रण घिष्ठारी होगा घौर उसके पथ-प्रवर्णन के लिये नियम बनाना। | | - | | |
| 62. विशेष स्थोस स्थास के स्रतिरिक्त छुटी मध्यूर करना। | पूर्ण षधिकार | - | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | - |
| 63. भवकाश स्वीकृत करना अब चिकित्सा बोर्ड ने प्रतिवेदित कर दिया हो कि कर्मचारी के कार्य पर लौटने की स्वस्यता की पर्याप्त भाषा नहीं है। | पूर्ण भिकार | - Company | | |
| 64. सम्बेह होने की स्थिति में निश्चय करना कि क्या एक कर्मेचारी घिरोष घवकाश विभाग में सेवा कर रहा है। | पूर्णं मधिकार | | | |
| 65. प्रमृति भौर भस्पताली भथकाश मन्त्रूर करना । | पूर्ण भिक्षकार | | - | _ |
| 66. यात्रियों द्वारा साधारणतया प्रयुक्त मार्ग के भितिरिक्त भन्य मार्ग से कार्य प्रहण के समय के भाकतन करने की भनुमति | पूर्ण भिष्ठकार - | | - | - V (8) |
| 67. ब्रधिकतम 30 दिनों के भन्दर कार्य- बहुण का समय बढ़ाना। | पूर्ण मधिकार | पूर्ण धिकार 30 विनों के परे। | - | - |
| 68. भारत के किसी भी भाग में काम पर जाने के लिये संस्थान के कर्मचारी को प्राधिकृत करना | पूर्णमधिकार, वर्गे "ख", "ग" ग्रीर "घ"की स्थिति में। | पूर्ण प्रक्षिकार, वर्ग "क" के कर्म- भारियों की स्थिति में। | er Li te pris nin het e de de de | |
| समय-समय पर यथा संशोधित भारत सर | कार के सामान्य विसीय मियमों के ध | ग्तर्गत : | | |
| 69. संस्थान के कर्मचारियों की सेवा पंजी में प्राप्तिस्थित जन्म-तिथि में लिपिकीय लुटि की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रधिकार। | पूर्ण घधिकार, वर्ग "ग" धौर "व" के कर्मचारियों की स्थिति में | पूर्ण सिवकार, वर्ग "क" झोर "वा" के कर्मचारियों की स्थिति में। | 127 mg/m 25 2782 53 2782 53 54 5 | edelia Kirio para |
| 70. 3 वर्षों से भिक्षक, किन्तु 6 वर्षों से भिक्षक नहीं, के वेतन इत्यादि के बकाया के वार्वों के परीक्षण की स्वीकृति के लिये भिक्षकार | पूर्ण भधिकार । | पूर्ण भिक्षिकार, भन्य विषयों में | | |
| 71. निवेशक के स्नितिरिक्त भ्रम्थ कर्म- कारियों के विषय में स्थायी पेश्रीयां स्वीकृत करने का स्निक्षार। | | पूर्णं घष्टिकार, निवेशक के विषय में। | | |
| 72. धोकस्मिक स्थय के विषय में धर्मा- नस्य प्रधिकारियों की धनुवेश जारी करने का बिंबनार। | पूर्ण मधिकार | _ | Part of the same o | 7 (8) 1 <u>-</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---------------------|--------------|---|
| | भितिरिक्त ग्रीर भनु- खारका निषटान । | पूर्ण प्रधिकार | | Asy ver | सस्थान के द्वारा इ प्रयोजन के सि गठित कंडमनेश बोर्ड की सला पर निवेशक का करेगा। |
| कर्मचारिय वापसी भु | विषयों में सन्धान कें गों की स्वीकृतपेशियों के गतान की शर्तों में परि- ों का मधिकार | पूर्ण प्रधिकार, जिन पेणियों के अनु- दान की स्वीकृत के लिए वह मक्षम है बजार्ते कि व्याज वार्ता पेशियों के विषय में, बापसी भुगतान की प्रविध- में कृष्टिन की गई हो । | मभी धन्य विषयो मे । | - | - |
| | खरीय के लिए, पेशनियां रने काश्रधिकार । | पूर्णं अधिकार/स्थायी पर्वो पर नियुक्त संस्थान के कर्मचारियो के विषय में मा० पि० नि० 199 से 218 नियमों में निर्धारित मीमा और मतौं के अधीम। | | | 20.0 (8° %) |
| हुई मोट | ति गई पेशनी से खरीदी रगाड़ियों के बेचने भौर स्थ को प्राधिकत करने का । | | _ | - | - |
| पेशगी क की किश | की खरीद केलिए ो संस्थान को बापस करने तो की संख्या को मधिक्तम बढ़ाने का मधिकार। | पूर्ण मधिकार। | 100 mg | | |
| लिये सं | त्यानान्तरण इत्यादि के त्यान के कर्मचारियों की तंजूर करने का प्रधिकार | | | | PATE IN |
| पार्टी । | कुत्रमं में संस्थान एक हो उसमें पेशगियों की करने का अधिकार। | पूर्णग्रधिकार। | _ | -1 | |
| 80 नकदी, रक्षा से भारी जाने व | भण्डार इत्यादि की मिन- भारित, प्रधीनस्य प्रधिः के द्वारा निष्पादित किये सके प्रतिभृति वंघपत्र के को निर्धारित करने का | | | | |
| 81. महत्वपू वेशनी | र्ण त्यौहारों से पूर्व वेतन से मंजूर करने का श्रधिकार। नियमों के श्रन्तर्गत | पूर्ण मधिकार । | - | - | - |
| 82. संस्था संबन्धि प्रावधा | न के धन की मिभिरका त नियम 109 (1) ^{हे} नों से विचलन को प्रा करने का मिधिकार। | * | - | - | _ |

कम संक्या 55 में 68 के लिये पूरक नियमों में तद्नुक्पी प्रावधान देखिये।

^{3.} कम संख्या 69 से 81 के लिये सामान्य विसीय नियमों मे तवतुरूपी प्रावधान वेश्विये।
4. कम संख्या 82 के लिये केन्द्रीय कोषागार नियमों के निवम 109 (2) को देखिये।

⁵ मनुसूची में उल्लिखित कम संस्थामों के द्वारा माकृत न हुए कोई भी अशं, विनियम 2 पर परिभाषामों में उल्लिखित भारत सरकार के नियमो में तब्नुक्पी प्रावधामी के द्वारा नियन्त्रित होगे।

अपत्की-2

संस्थान में विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति, धनुशासनारमक और प्रपीलीय प्राधिकारी

| कमसं० पद्यों का विवरण | नियुक्ति प्राधिकारी | घपील) नियम, 1965 के निय | कंन्द्रीय प्रमैतिक सेवाधों के (वर्गीकरण, नियन्त्रण धौर धणील) नियम, 1965 के नियम II के सन्दर्भ में दंडों को प्रदान करने में सक्षम प्राधिकारी धौर वह जिन दंडों को प्रदान कर सकता है। | | |
|-----------------------|---|---|---|---------------------|--|
| | | प्रनुशासनात्मक प्राधिकारी | केन्द्रीय धर्सनिक सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण भौर भ्रपील) नियम, 1965 के नियम II के अन्तर्गत दंड | | |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. वर्ग 'क' के पद | | April 18 miles | | | |
| (1) निर्देशक | मंस्थान (घ० भा० घायु० सं० के नियम 7 के मधीन) | संस्थान | सभी इस शर्त के घ्रधीन कि वंड (5) से (9) तक केन्द्रीय सरकार की पूर्व घनुमति के बिना नहीं प्रदान किये जायेंगे। | | |
| (2) धन्य पद | शासी सभा | (भ) भासी सभा (म) भ्रष्ट्यक | सभी दंड दंड (1) से (4) | संस्थान शासी सभा | |
| 2. वर्ग खंके पद | <i>प्रध्यक्ष</i> • | (ग्र) भध्यक्ष (व) निदेशक | सभी दंड दंड (1) से (4) | शासी सभा मध्यक | |
| 3. वर्ग "ग' के पद | निवेशकः | (भ) निदेशक | सभी दंड | मध्यक्ष | |
| d. वर्गं "ष" के पद | নি ব খাক | (घ) निवेशकः (घ), (स) घौर (घ) में नीचे दिये गये के घति- रिक्त, संस्थान के कमंचारियों के विषय में उपनिदेशक (प्रशासन)। | | भ ध्यक्ष निदेशक | |
| | | (स) जिकित्सा मधीक्षक भ्रव भाव भागुव संव भस्पताल कर्मचारियों के विषय में। | दंड (1) से (4) | निदेशक | |
| | | (द) मुख्य संयोजकः, का॰ राजेन्त्र प्रसादनेत्निकान— केन्द्र भौर जब भौर जैसे संस्थान के द्वारा स्थापित भन्य केन्द्रों के प्रधान, संयं- धित केन्द्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियां के विषय में। | वंड (1) से (4) | निवेशकः | |

[मि० सं० 1-12/80-81/सा०]
सस्थान के प्राधिकार के डारा
एच० डी० टण्डल, निवेशक
प्रविक भारतीय पायुविज्ञान संस्थान

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

New Delhi, the 25th July, 1981

- G.S.R. 914.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 29 of the All-India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), the All-India Institute of Medical Sciences, New Delhi, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the All-India Institute of Medical Sciences Regulations, 1958, namely:—
- (1) These regulations may be called the All-India Institute of Medical Sciences (Amendment) Regulations, 1981.
 - (2) They shall come into force w.e.f. 1-8-1981.
- 2. In the All India Institute of Medical Sciences Regulations. 1958, (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2,—
 - (i) after clause (d) the following clauses shall be inserted, namely:—
 - "(dd) 'Fundamental Rules' mean the fundamental rules as applicable to Central Government Servants;
 - (ddd) 'Genenral Financial Rules' mean the General Financial Rules, 1963 framed by the Central Government for financial management and control;"
 - (ii) After clause (i), the following clauses shall be inserted, namely:
 - "(j) 'Supplementary Rules' mean the supplementary Rules as applicable to Government servants who are subject to the fundamental rules;
 - (k) "Treasury Rules' mean the treasury rules of the Central Government."
 - 3. In regulation 4, of the said regulations,-
 - (i) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely :--
 - "(3) For an ordinary meeting of the Institute a notice specifying the place, date and time of the meeting shall be given by the Secretary to the members at least two weeks prior to the date of such meeting and under a certificate of posting, if sent by post. The agenda shall also be sent along with the notice of the meeting and where it is not possible, the agenda shall be sent at least ten days before the meeting under a certificate of posting if sent by post."
 - (ii) for sub-regulation (9), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—
 - "(9) The President may include in the agenda at any time before or during a meeting (i) fresh items of business; (ii) items supplementary to those included in the agenda; and such items shall also be taken up for consideration."
 - 4. For regulation 5 of the regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

"Constitution of the Governing Body."

- 5. The Governing Body shall consist of the following eleven (11) members, namely:—
 - (a) Pesident of the Institute-Chairman.
 - (b) Director General of Health Services—ex-officio Member.
 - (c) Representative of the Ministry of Finance-Member.
 - (d) Director, All India Institute of Medical Sciences.

 —Member.
 - (e) One meber elected by the members of the Institute from amongst the three members of Parliament elected to the Institute.

- (f) Six members to be elected by the members of the Institute from amongst themselves.".
- 5. In regulation 7 of the said regulations, the words and figure "and in Schedule I as the powers and functions of the Chairman", shall be omitted.
- 6. In regulation 8 of the said regulations, (i) for sub regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—
 - "(1) The Governing Body may meet as often as may be considered necessary by the Chaiman for transaction of its business but shall ordinarily meet once in a quarter at such place, date and time as may be decided by the Chairman.";
 - (ii) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—
 - "(3) An extraordinary meeting of the Governing Body shall be called on a written requisition by at least six members of the Governing Body or by the Chairman";
 - (iii) In sub-regulation (6), for the words 'Four members' the words 'Five members' thall be substituted.
- 7. In regulation 10 of the said regulations, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—
 - "(3) In the case of Chairman and the members of the Governing Body, and of Standing and ad hoc committees other than those mentioned in sub-regulation (2), travelling allowance and daily allowance shall be paid at the rates to which they are entitled as per rules of the organisation in which they are working or those prescribed from time to time by the Central Government under S. R. 190 and the executive decisions and orders thereunder whichever is more."
- 8. In regulation 12 of the said regulations, for sub-regulation (1) the following sub-regulation shall be substituted, namely:—
 - "(1) In addition to the Standing Finance Committee referred to in rule 6, the Institute may constitute other Standing Committees in accordance with sub-section (5) of section 10 of the Act, consisting of a Chairman, a Vice-Chairman and not more than seven other members. The Director shall be a member and ex-officio Secretary of each Committee. The Chairman, the Vice-Chairman, and other members of each committee shall be nominated by the Institute.
- In sub-regulation (1) of regulation 24 of the said regulations, the words and "Medical Superintendent" shall be omitted.
 - 10. In regulation 27 of the said regulations, (i) for the words and figures "Revised leave Rules, 1933", at both the places where they occur, the words and figures "Central Civil Services (leave) Rules, 1972" shell be substituted;
 - (ii) in the first proviso, the words and figure "for period of 3 years in the first instance" shall be omitted.
- 11. For regulation 28 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—
 - "(28) Pension and Contributory Provident Fund-
 - (1) The employees of the Institute, except those on deputation on foreign service to the Institute, appointed on or after 12th Sept. 1975 and such employees as were appointed prior to this date but have specifically opted for the General Provident Fund and Pensionary benefits as applicable to the Central Government employees, shall be governed by the provisions of General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 and the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
 - (2) The employees of the Institute, except those on deputation on foreign service to the Institute and who were appointed before 12th September, 1975,

and have specifically not opted for the General Provident Fund and Pensionary benefits shall be governed by the Contributory Provident Fund Rules of the Institute as amended from time to time."

12. After regulation 30 of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely :-"30A. Terms of office of Director.

Notwithstanding anything contained in these regulations, the Institute shall, if it is of the opinion that it is in the public interest to do so, have the right to terminate the term of office of Director at any time before the expiry of his term by giving him a notice of not less than three months in writing or three months' salary and allowances in lieu thereof. The Director shall also have the right to relinquish his office at any time before the expiry of the fixed term by giving to the Institute a notice of not less than three months in writing."

13. For Schedule 1 and Schedule II, the following Schedules shall be substituted, namely:—

SCHEDULE-I

See Regulations: 3, 6 & 11

| Sr. | Nature of Powers | | Exten | t of Powers | | Remarks | |
|-----------|---|---|--|----------------------------|----------------|---|--|
| No. | | Director | President | Governing Body | Institute Body | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0.00 | wers of reappropriation of ids from Sanctioned Budget,\ | Full powers | | | | Report on any reappropriation shall be placed before the Go- verning Body for approval a its subsequen meeting | |
| (b) | Write off of loss of irrecoverable value of stores of public money due to fraud etc. Loss of revenue or of irrecoverable advance. Deficiencies and depreciation in value of Stores. | Upto Rs. 2000 in each case | Rs. 10,000 in each case | Rs. 20,000 in each case | Full powers | | |
| on sta | o incur (1) contingent ex- nditure (ii) or expenditure the purchase of stores and attonery and printing of rms. | Full powers with- in the sanctioned budget | _ | | | | |
| | aintenance of Building and tty works. | | | | | | |
| (a) | Original works and special repairs. | Rs. 20,000 in each case sub- ject to maximum of one lakh per year | Rs. 50,000 in each case, sub- ject to a maximum of Rs. 2.5 lakh per year | Full powers | | | |
| (b) |) Ordinary repairs | Full powers for minor repairs (not annual repairs). | _ | | | - - | |
| (c) |) Annual Repairs | Full powers | ÷ | <u> </u> | 6 W 🛶 - 14 mg | | |
| | wer to sanction recoverable vances. | Full powers in res- pect of all officers and employees except himself | In case of Director | | | _ | |
| fina | wer to sanction advances/ al withdrawal out of the ontributory/General Provi- nt Fund. | Full powers in res- pect of all officers and employees ex- cept himself. | In case of Directo | or - | | | |

| - | | | | 10, 1001/41144 10, 190 | | 4173 |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Destruction of official records connected with accounts. | Full powers sub- ject to the condi- tions laid down in Appendix 13 to the G.F.R. | | | entre de la companya | |
| 8. | Powers to direct the payment on the last working day of a month the pay and allowances of Employees of the Institute where the first four days of the following month are public holidays. | Full powers | | | | |
| | Power to order the retention of undisbursed pay and allow- ances of establishment for any period not exceeding three months. | | - | | - | - |
| 10. | To sanction the re-employ- ment of superannuated persons in temporary vacancies. | Full powers in the case of Group C employees upto the age of 60 years, one year at a time. | Officers upto the | en e | | |
| 11. | To retain the Institute employees upto the age of 60 years | | Full powers in the case of Group B Officers. | | | |
| 12. | To allow mileage allowance by a route other than the shortest or the cheapest. | Full powers pro- vided selection of the route is in Insti- tute's Interest. | | | | |
| 13, | To permit Group 'D' emp- loyees to draw next higher class Rallway fare when ac- companying an officer on train which provides no II Class. | Full powers | The state of the s | | - | |
| 14. | To decide whether a particular absence is absence on duty within the country. | Full powers for academic purposes and for one month in other cases. | Full powers be- yond one month in all cases other than academic. | | | |
| 15. | To impose restrictions on the exchange of daily allowance for mileage allowance by Group 'C' and Group 'D' employees, travelling in a public or hired conveyance. | Pul] powers | _ | | - | _ |
| 16, | To countersign his own travelling allowance bills and those of other employees. | Full powers | al many tire a | o de la com <u>u</u> la. Pour sur au l'altre de la comp | - | |
| 17. | To waive proviso (a) to supplementary Rule 209 & to authorise departures from Supplementary Rule 211 regarding combination of Holidays with leave. | Full powers | Astronomic St. | and the second of the second o | | THE STATE OF THE S |
| 18. | (i) Grant of Casual Leave | Full powers | Casual leave of the director | 6 8 % 58) apar | 910 1 20 101 11 | |
| | (ii) Grant of leave | Full powers for Group B, C, D & not more than fou weeks for Group 'A'. | Full powers for Group 'A' for r more than 4 weeks and full powers in the case of the Di- rector. | | | |
| | (iii) Special disability Leave | _ | Full powers | | _ | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---|---|--|---|--|--|
| lo | cave shall be considered to be | Full powers for the period of original deputation or the period of leave sanctioned. | - | Full powers | 100000 100 00 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 | |
| 20. 7 | To allot residence | Full powers | - | -device_in_ | 4 - T | - |
| | Power to make appointments to posts (subjet to Rule 7). | Full powers | - | | en e | |
| | (i) Ad hoc/Temporary | Group B, C & D posts. Lecturers and Assistant Pro- | Full powers for all Group 'A' posts other than Faculty posts. Prof. & Assoc. Prof. for a | | ed po registro i in educar con fluoro | |
| | | ing a period of one year. | | | | |
| | | | a period exceeding one year. | | | |
| | (ii) Permanent | Group C & D post | | Group A posts | - | - |
| | Power to confirm Group A & B Officers, after successful completion of the period of | in the case of the | | AND DESCRIPTION OF THE SECOND | out state 1 1 | en e |
| 23. | probation. Powers to accept resignation of Group B employees of the Institute. | Full powers | | e emperator se se e en el lo en esta son esta Tura | | |
| 24. | Powers to accept resignation of Group A employees. | Full powers in res- pect of all Group A Officers except in case of Profes- sors and Asso- | case of Director, Professors and Associate Pro- | Productions Constitutions Executed State | | In the case of Director subject to ratification by the Institute Body |
| 25. | Powers to permit the Officers | ciate Professors. Full powers except | Full powers be- | _ | and the second | Subject to direc |
| | of the Institute while going | rector on the basis | yond a period of 30 days in the case of employees and | | | tions issued by the Central Government from time t |
| | conferences, seminars, work- shops, symposia etc. or for short assignments. | due and admissible upto the period of 30 days, and that | full powers in res- pect of Director. | | | time. |
| | | the faculty mem- bers concerned receives proper | | | | |
| | | invitations from the sponsors of the meeting etc. | | entroppe d | | |
| 26. | Powers for treating the absence as on duty for participation in the International scientifi | n maximum of 1: | yond a period of | Secretary Day 2 | Bradist School | Subject to directions issued by the |
| | conferences/symposia sem nars etc. abroad by the mem bers of the faculty. | i- travel. | | | | ment from time to time. |
| 27. | Powers to allow retention of lien in the Institute of emp loyees when they are appointed | Group 'C' & 'D' d posts upto a maxi- | Group 'B' posts. | Full powers Group "A" posts. | | |
| | elsewhere. | mum of two years One year at a time | | | | |
| 28 | Powers for fixation of pay of Institute employees under normal Rules. | f Full powers | | sgergi akip <u>i</u> | | • |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|--|---|---|---------|---|
| 29. | Powers to permit the Officers of the Institute to go abroad in connection with the work of the Institute and treatment of absence as on duty. | 30 days provided there are no finan- | a period of 30 days. | | | Subject to directions issued by Central Government from time to time. |
| | Power to accept Research grant if these are for durations not exceeding 3 years. | | | A Service - A | aber 11 | |
| 31. | Power to accept the terms and conditions on foreign service terms in respect of the deputationist of Central/State Government where the terms are of usual nature. | Full powers | - | | ± 30,∓ | e en |
| | Power to grant extension of tenure of Senior Residents/ tutors. | Pull powers | _ | | - | - |
| | Power to grant advance incre- ments on the recommendations of the Selection Committee. | Full powers upto three advance in- crements, | Full powers beyond three advance in- crements. | Harmon Francisco Consideral Harmon | - | _ |
| | Power to grant advance incre- ment under F.R. 27 to emp- loyees of Research Schemes on their appointment to regular posts in the Institute. | Full powers, on the merit of each case. | 1 195 and 1 195 | | | |
| | Power to relax the provision of S.R. 12 where the subsistance allowance to be received is in the nature of daily allowance and no honorarium is involved. | Full powers | _ | | | Subject to direc- tions issued by the Central Go- vernment from time to time. |

APPENDIX

(Under the Fundamental Rules of Government of India, as amended from time to time)

| Sr. No. | Nature of Power | Extent of Power | | | Remarks |
|------------|---|---|----------------------------------|----------------|---------|
| | | Director | President | Governing Body | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36. | To declare an Institute emp- loyee to be a ministerial servant. | Full powers | - | - | - |
| 37. | To suspend a lien | Full powers provided that he is authorised to make appointments to the posts on which the lien is held. | Full powers for all other posts. | | |
| 18. | To transfer the lien of an institute employee from one post to another. | Full powers provided that he is authorised to make appointments to both the posts con- cerned. | Full powers for all other posts. | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 |
|-----|---|--|---|--|-------------------------|
| 9. | To transfer an Institute em- ployee from one post to ano- ther. | Full powers in the case of Group C & D employees. | Full powers in case of Group B employees | Full powers in case of Group 'A' employees. | _ |
| ю. | Fixation of pay and allowances of an Institute employee treated as on duty under F. R. (9), (6) (b). | Full powers in the case of Group B, C & D employees. | Full powers in the case of Group A employees. | | - |
| 41. | Counting extra-ordinary leave for increments. | Full powers in the case of Group B, C & D em- ployees. | Full powers in the case of Group A employees. | on gen in the constant constant | |
| 42. | Power to reduce the pay of an officiating Government servant. | Full powers in the case of Group B, C and D employees. | Full powers in the case of Group A employees. | eriyat — mara sada ani na mataraka fina kasa maraka | |
| 43. | To sanction grant of and to permit acceptance of honorarium. | Full powers upto a ma- ximum of Rs. 500/- in each case. In the case of recurring ho- noraria, this limit ap- plies to the total of the recurring payments made to an individual in a year. In the ca- se of Group A and Group B employees the matter shall be re- ported to the Gover- ning Body. | | | |
| 44. | Power to appoint an employee to hold temporarily to officiate in more than one post and to fix the pay of subsidiary posts and the amount of compen- satory allowance to be drawn. | Ful powers subject to rules applicable to si- milar to classes of Central Government employees. | f | The said of the sa | |
| 45. | To declare the grade of fee paid to part time employees (for purpose of T. A.) | Fall powers | _ | The production of the producti | |
| 46. | To decide the shortest or cheapest of two or more routes. | Full powers | - | | _ |
| 47. | To allow mileage allowance by a route other than the shortest or cheapest. | Full powers provided s lection of the route in Institute's interest. | is — | | |
| 48. | To decide the point of com mencement or end of journey in a station. | - Full powers | - | - | _ |
| 49. | To declare that an Institute employee whose pay does no exceed Rs. 300/- per mensem is entitled to lowest class accommodation in a steamer. | t Full powers | | | |
| 50 | To declare in case of doubt of hardship the class of steams accommodation to which a Institute employee is entitled. | r | | | na sammer Salata nim |
| 51 | | al Full powers | Full powers in the ca of Director. | se | _ |

| 1 | 2 | . 3 | 4 | 5 1 | 6 |
|-----|---|--|--|-------------------------|--------------------------------------|
| 52. | Extension of leave to cover over-stayal. | Full powers provided that the employees on leave will on return be under the administra- tive control of the Ins- titute. | Full powers in all other cases. | | |
| 53. | To sanction transfer to foreign service in India and to fix the pay in foreign service. | | Full powers in respect of Group 'A' emplo- yees. | | |
| 54. | To decide the date of rever- sion of Government servant who takes leave before re- version from foreign service. | Full powers | Office Fage — process to the second of the s | | |
| | UNDER THE SUPPLEMENTAL | RY RULES OF GOVERN | MENT OF INDIA AS AMEN | NDED FROM TIM | е то тіме |
| 55. | Power to sanction the un- dertaking of work for which a fee offered and the accep- tance of a fee. | Full powers | | | |
| 56. | Travel by Air by Officers in relaxation of rules. | Full powers in case of urgency and necessity. | _ = | -01 <u>-1</u> -2-1000-2 | od week Late 15 Tags |
| 57. | To declare that pay of an Institute employee includes com- pensation for all journeys by road. | Full powers in the case of Group B, C & Group D employees. | Full powers in case of Group A employees. | | |
| 58. | Power to grant exemptions from the rule limiting a halt on tour to ten days. | Full powers upto a limit of 30 days. | Full powers beyond a period of 30 days. | | 34 (1. 17) 36 (1.18) |
| 59. | Powers to fix amount of hire or charges where an Institute employee is provided with means of locomotion at the expense of the Institute etc. but pays all the cost of its use or propulsion. | Ful powers | | | |
| 60. | To grant travelling allowance to non-officials attending com- mission of enquiry etc. and to fix their grade. | Full powers | | - | _ |
| 61. | To declare who shall be con- trolling officer and to make rules for his guidance. | Full powers, provided an Institute employee is not declared his own controlling officer. | entrollario della controllario d | _ | - |
| 62. | To grant leave other than spe- cial disability leave. | Full powers | | - | _ |
| 63. | To grant leave when a medi- cal board has reported that there is no reasonable prospect of the employee being fit to return to duty. | Full powers. | | - who | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | θ |
|-----|---|---|---|--|--|
| 4. | To decide in case of doubt whether a particular employee is serving in a vacation De- partment. | Full powers | | ok = − or | |
| 55. | To grant maternity and hos- pital leave. | Full powers | _ articlesses | - | |
| 56. | To permit calculation of join- ing time by a route other than that which travellers ordinary use. | Full powers | | | |
| 57. | To extend joining time within I a maximum of 30 days. | Full powers | Full powers beyond 30 days. | - | - |
| 68. | Authorizing an Institute em- ployee to proceed on duty to any part of India. | Full powers in case of Group B, C, and Group D | Full powers in the case of Group A employees. | - | |
| | UNDER THE GENERAL FI | NANCIAL RULES OF TH | E GOVT OF INDIA AS AMI | ENDED FROM | TIME TO TIME |
| 69. | Powers to alter in the case of clerical errors in the date of birth recorded in the service rolls of Institute employees. | | | | |
| 70. | Power to sanction investiga- tion of claims for arrears of pay, etc. which are more than three years but not more than six years old. | Full powers | Full powers in other cases. | 1967 July 1967 | |
| 71. | Power to sanction perma- nent advances in respect of employees other than Director. | Full powers | Full powers in the cas of Director. | es of rock | en de la companya de |
| 72. | Power to issue instructions to subordinate authorities in the matter of contingent expendi- ture. | Full powers . | _ | 100 miles 100 mi | The Director shall |
| 73. | Disposal of obselete surplus & Unserviceable stores. | Full powers | | | act on the advice of the Condemnation Board set up for th pupose by the Ins |
| 74. | Powers to vary the terms of repaying of advances granted to Institute employees in ex- ceptional cases. | Full powers in cases in which he is competent to sanction the grant of advances, provided that in the case of interest bearing advances the period of repayment not extended. | 2000 | Maria de la companya | The control of the co |
| 75. | Power to san tion advances for purchase of conveyance. | Full powers in the case of Institute employees holding permanent posts, subject to the limits and conditions laid down in Rules 195 to 218 of G. F.R. | | | His time engine of the service and the service |
| 76. | Powers to authorise the sale or transfer of motor vehicles purchased with advance from the Institute. | mentioned in clause | | and the second | 10, 51, 59% - 3 50, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1 |

- NOTES:-1. For serial Nos. 36 to 54 see corresponding provision in Fundamental Rules.
 - 2. For Serial Nos. 55 to 68 see corresponding provisions in Supplementary Rules.
 - 3. Por Serial Nos. 69 to 81 see Corresponding provisions in General Financial Rules.
 - For Social No. 82 see Rule 109 (2) of Central Treasury Rules.
 - 5. Any points which are not covered by the Serial Nos. mentioned in the Schedule, will be governed by the corresponding provisions in the Government of India Rules mentioned in the definitions at Regulation 2.

SCHEDULE-II

The Appointing, Disciplinary and Appellate Authority for the various Posts in the Institute

| Sr. No. | Description of posts | Appointing Authority | Authority Compotent to penalties which it may im rule 11 of the Central Ci tion, Control & Appeal) I | Appellate Authority | |
|------------|------------------------------|--|---|---|-----------------------------|
| | | | Disciplinary Authority | Penalties under rule II of Central Civil Services (Classifica- tion, Control and Appeal) Rules, 1965 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Group 'A' posts (i) Director | Institute (subject to rule 7 of the AHMS Rules). | Institute | All subject to condition that penalities (v) to (ix) shall not be imposed without the prior approval of the Central Government. | |
| | (ii) Other posts | Governing Body | (a)Governing Body (b) President | All penalities Penalties (i) to (iv) | Institute Governing Body |

| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|----------|-----------------|---|-----------|-----|---|--|-----------------------------|
| | Group 'B' posts | | President | | President Director | All penalties Penalties (i) to (iv) | Governing Body President |
| | Group 'C' posts | | Director | (a) | Director | All penalties | President |
| | Group 'D' posts | | Director | (a) | Director | All ponalties | President |
| i. Group | Gloup D possi | | | (b) | Dy. Director (Admn) in the case of Institu- te employees other than those provided in (c) & (d) below. | Penalties (i) to (iv) | Director |
| | | | | (c) | Medical Superintendent in the case of AIIMS Hospital employees. | Penalties (i) to (iv) | Director |
| | | | | (d) | Chief Organiser, Dr. Rajendra Prasad Centre for Opthalmic | Penalties (i) to (iv) | Director |
| | | | | | Sciences, and chiefs of | | |
| | | | | | other centres as and | | |
| | | | | | when established by the Institute in the | | |
| | | | | | case of the employees | | |
| | | | | | working in the Con- tres concerned. | | |

[F. No. 1-12/80-81/Genl] By the Authority of the Institute H. D. TANDON, Director All India Institute of Medical Sciences.

क्षि मंत्रालय

(कवि और सहकारिता विभाग)

नई विल्ली, 22 सितम्बर, 1981

सा॰ का॰ नि॰ 915.—राष्ट्रपति संविधान के धनुष्छेद 309 के, परम्युक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली दुग्ध योजना (अनुसंधान सहायक कार्य प्रध्ययन) मर्ती नियम, 1977 का घीर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, प्रपीत् -

- इन नियमों का संक्षिप्त माम दिल्ली दुग्छ योजना प्रनुसंघान सहायक (कार्य ध्रष्टययन) भर्ती (संशोधन) नियम, 1981 है।
- में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 3. दिल्ली बुग्ध योजना धनुसंघान सहायक भर्ती नियम, 1977 की घनसूची में -
 - क. स्तम्भ 11 की प्रविधिट के स्थान पर निम्नलिखित प्रविधिट पन्तः स्थापित की जाएगी, पर्थात् :--

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण

विल्ली बुध्व योजना के ऐसे प्रधिकारियों में से, जो 425-700, 550-750 और 550-800 ६० के वेतनमान में पद धारण किए हुए हैं धीर जिल्होंने उक्त श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है, भीर जिनके पास-

- 1. किसी माण्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि या उसके समतुल्य है ,
- जिल्होंने उपयुक्त वेतनमान में कम से कम 5 वर्ष नियमित सेवा की है।
- सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान का प्रधारिक प्रबन्ध सेवा पाठयकम या किसी मान्यताप्राप्त संस्था का सद्गा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है या करने के पाल है।

स्वकीकरण

सवि किसी ऐसे पश्चिकारी का चयन कर लिया जाता है जिसने छक्त पाठ्यकम पूरा नहीं किया है तो जससे यह धपेका की आएगी कि वह उक्त पाठ्यकम को समागी प्र पूरा करके भीर उसका उस पद पर लगतार बने रहना इस शर्त के प्रधीन रहते हुए होगा कि वह उक्त पाठ्य-कम को प्रपनी मियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर सफलतापूर्वक प्रा कर लेता है।

मितिनियुक्ति की भवधि सामान्यतः 3 वर्षे से प्रधिक महीं होगी)

[# 0 3-31/28-UHT 1] के॰ उप्पीलियपन, निदेशक बी० बी०

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 22nd September, 1981

G.S.R. 915.—In exercise of the powers conferred by the provise to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Delhi Milk Scheme (Research Assistant Work Study) Recruitment Rules, 1977:—

- These rules may be called the Delhi Milk Scheme Research Assistant (Work Study) Recruitment (Amendment) Rules, 1981.
- They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the schedule to Delhi Milk Scheme Research Assistant Recruitment Rules, 1977.
- 4. In column 11 for the entry the following entry shall be substituted, namely.

Transfer on deputation :

From amongst the officers holding the post in the pay scales of Rs. 425-700, 550-750 and 550-800 with 5 years regular service in the said grade in Delhi Milk Scheme, who shall have :-

- 1. A degree of an recognised University or its equivalent,
- 2. rendered at least 5 years regular service in the above scales.
- eligible to underge 3. Completed successfully or be the Basic Management Se Management Service Course of